न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नं0–1, नगीना बिजनौर।

दाण्डिक वाद सं0– 1183/2018

सरकार बनाम मुन्ने आदि।

धारा–323,324,504,506 भा0दं0सं0।

थाना–बढ़ापुर, जिला–बिजनौर।

मु0अ0सं0 **394/2014**

आरोप

मैं, **अन्नू** न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज जू0डि0, कोर्ट नं0–1, नगीना, जिला बिजनौर आप **कलुआ** व **केनू** को निम्न आरोप से आरोपित करती हूँ :–

प्रथमः– यह कि दिनांक 29–12–2014 को समय लगभग 10:00 बजे वहद स्थान मौ0 नौमी, अंतर्गत थाना बढ़ापुर, जिला बिजनौर में आपने वादी मुकदमा मुकेश पुत्र नन्दराम व उसकी भाभी दीपा को लाठी–डण्डों से स्वेच्छया मारपीट कर उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा **323** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः– यह कि उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा व उसकी भाभी को धारदार हथियार से मारपीट कर उन्हें घोर उपहति कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा **324** के अंतर्गत दंडनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा को लोक–प्रशान्ति भंग करने के आशय से गंदी–गंदी गालियां देकर अपमानित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया, जो धारा **504** भा0दं0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने वादी मुकदमा व उसकी भाभी को को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा **506** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा मैं आपको निर्देशित करती हूँ कि आपका विचारण उक्त अपराध में इस न्यायालय के समक्ष मेरे द्वारा किया जाये।

दिनांकः **02–04–2024**

(**अन्नू**)

न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट नं0–1, नगीना, बिजनौर।

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे उन्होंने इन्कार किया और न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रार्थना की ।

दिनांकः **02–04–2024**

(**अन्नू**)

न्यायिक मजिस्ट्रेट

कोर्ट नं0–1, नगीना, बिजनौर।

Digitally signed by Annu
Date: 2024.04.02 16:28:16 IST
Reason: Charge
Location: Judicial Magistrate, Court no-1, Nagina, Bijnor.